

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं0.22012/48/2004-एआईएस(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15<sup>th</sup> जुलाई, 2008.

अधिसूचना

एसएलपी सं0. 6788/2008 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.5.2008 तथा सीएम सं0.7374-75/2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 19.5.2008 के आदेश के साथ पठित सिविल रिट याचिका सं0.5622/99 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20.7.2007 के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5 के उप-नियम(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस मंत्रालय की दिनांक 30.12.1991 की अधिसूचना सं0. 13013/15/91एआईएस(1) के अधिक्रमण में श्री अश्विनी कुमार राय , भारतीय प्रशासनिक सेवा (आरआर:90) को सिविल सेवा परीक्षा, 1989 के परिणाम के आधार पर एतद्वारा भा0.प्र0.से0. के केरल संवर्ग से भा0.प्र0.से0. के मध्य-प्रदेश संवर्ग में आबंटित करती हे ।

एस.जे.कुमार

(एस.जे.कुमार)

उप-सचिव (ए.आई.एस.)

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा)

सं0.22012/48/2004-एआईएस(1)

नई दिल्ली, दिनांक 15<sup>th</sup> जुलाई, 2008.

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित :-

- (i) मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुअनंतपुरम ।
- (ii) मुख्य सचिव, मध्य-प्रदेश सरकार, भोपाल ।
- (iii) महालेखाकार, केरल, तिरुअनंतपुरम ।
- (iv) महालेखाकार, मध्य-प्रदेश, सरकार, भोपाल ।

एस.जे.कुमार

(एस.जे. कुमार)

उपसचिव(ए.आई.एस.)

आन्तरिक विवरण

एआईएस(II), एआईएस(III)/आरओ (सीएम)/ईओ (पीआर)/ईओ(एसएम-1)/एनआईसी को सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए ।